फा सं. 2.2(41)/2016-सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली -110069

निविदा आमंत्रण सूचना

वितरकों या प्राधिकृत डीलरों से विनिर्दिष्टताओं (अनुबंध-I) के अनुसार केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल सहित 750 प्रयोक्ताओं के लिए एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए दो बोली प्रणाली में ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है । मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा दस्तावेज़ आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पोर्टल साइट https: // eprocure.gov.in / eprocure / app से क्रिटिकल डेट शीट में दिए गए कार्यक्रम अनुसार निम्नानुसार डाऊन लोड की जा सकती है :-

सामान्य निबंधन एंव शर्तें

क्रिटिकल डेट शीट

प्रकाशित किए जाने की तारीख	03.03.2017 (1700 Hrs.)
दस्तावेज को डाउनलोड शुरू करने की तारीख	04.03.2017 (1500 Hrs.)
बोली के प्रस्तुतीकरण / बिक्री शुरू होने की तारीख	06.03.2017 (1500 Hrs.)
बोली के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	20.03.2017 (1500 Hrs.)
बोली को खोलने की तारीख	23.03.2017 (1530 Hrs.)

बोलियां केवल ऑन लाइन सीपीपीपी की वेब साइट https: // eprocure.gov.in / eprocure / appपर प्रस्तुत की जाएगी ।

निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल सीपीपीपी पर https : // eprocure. gov.in / eprocure /appके माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

हिं० तेजपाल

बोली दस्तावेज़ों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 dpi** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करेगा ।

1. <u>बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया</u>

निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली में ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी।

प्रस्तुत किए जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेज़ों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा क्रमिक रूप से संख्या दी जानी चाहिए ।

टेलीग्राम / फैक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(क)<u>तकनीकी बोली:</u>

बोलीदाता को (अनुबंध-III में दी गई जांच सूची में उल्लिखित दस्तावेज़ों) निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन्ड प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए:-

(i) फर्म के पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति।

(ii) वर्ष 2015-16 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी की स्कैन की गई प्रतियां ।

(iii) वर्ष 2015-16 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष के ऑडिट किए गए तुलन पत्र की स्कैन की गई प्रतियां ।

(iv) 20,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की स्कैन की गई प्रतिया या यदि जमा धरोहर राशि में छूट के लिए दावा कर रहे है तो केन्द्रीय भंडार, एन सी सी एफ, डी जी एस एंड डी या एन एस आई सी से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति ।

(v) सरकारी विभागों या प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थाओं की गई विगत आपूर्ति आदेश (नि.आ.सू; को प्रकाशित किए जाने से 3 वर्षों के दौरान की स्कैन्ड प्रति ।

(vi)अनुबंध-IV में दिए गए अपेक्षित प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, की स्कैन्ड प्रति ।

(vii) अनुबंध-IV के सन्दर्भ में अनुपालन रिपोर्ट की स्कैन्ड प्रति ।

दिव्येन्द्रपाल

(ख) **बोली मूल्य:**

BOQ_XXXX.xlsप्रपत्र में बोली मूल्य की अनुसूची ।

(ग) 20,000/- रू. (बीस हजार रूपए मात्र) की मूल जमा धरोहर राशि (ई एम डी) जो डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर / एफ डी आर के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को देय हो, क्रिटिकल डेट शीट में यथा वर्णित बोली खुलने की तारीख तथा समय पर या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग में सुपुर्द करनी होगी, की मूल हार्ड प्रति ।

अन्य निबंधन एंव शर्तें

2.**जमा धरोहर राशि (ई एम डी):**

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली / नई दिल्ली में देय 20,000/-(बीस हजार मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर के रूप में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करनी होगी। तथापि,वे फर्म जो केन्द्रीय भंडार, एन सी सी एफ,एन एस आई सी / डी जी एस एंड डी के साथ पंजीकृत है को ई एम डी जमा करने से छूट दी गई है ।बोली के साथ पंजीकरण का दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करना अपेक्षित होगा । जमा धरोहर राशि के बिना बोलियां तथा उपर्युक्त निर्धारित किए गए प्रपत्र में निविदा प्रस्तुत नही किए जाने पर निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । जमा धरेहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि से परे पैतालीस (45) दिनों के लिए वैध रहेगी। असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद लोटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि फर्म से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर उन्हें लौटा दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में जमा धरोहर राशि पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । यदि बोलीदाता अपने निविदा को वापस लेता है या उसमें कोई संशोधन करता है या निविदा की वैधता अवधिके भीतर निविदा में किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है या उनके प्रतिष्ठता के विरूद्ध कार्य करता है तो बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

3.**निष्पादन प्रतिभूति**:

सफल बोलीदाता को साफ्टवेयर मूल्य की 5% निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली को आपूर्ति आदेश की प्राप्ति से 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी । निष्पादन प्रतिभूति आयोग के पास संविदा अवधि के संतुष्टि पूर्वक आपूर्ति, अधिष्ठापन तथा वारंटी बाध्यताओं के समापन तक जमा रहेगी । निष्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्ति तथा अधिष्ठापन के पूरा होने के (60) दिनों की अवधि तक वैध रहेगी ।

डि० तेजपाल

4. प्रारंभ में केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल सहित एन्टीवायरस साफ्टवेयर के लिए प्रयोक्ताओं की संख्या 750 नियत की गई है । तथापि,प्रयोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है जो आयोग की अपेक्षाओं पर निर्भर है । भुगतान आदेशित लाईसेंस की संख्या पर किया जाएगा ।

5. बोलीदाता को कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी विभागों या प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थाओं को कम से कम 500 प्रयोक्ताओं के समर्थन सहित केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल सहित कम से कम 1 (एक) एन्टीवायरस साफ्टवेयर की सफलतापूर्वक आपुर्ति एवं उसे अधिष्ठापित करना होगा । उक्त एंटीवायरस साफ्टवेयर को इस निविदा को प्रकाशित किए जाने से पूर्व 3 वर्षों के भीतर इसकी आपूर्ति एवं अधिष्ठापित की जानी चाहिए । इस संबंध में बोलीदाता को अपने अनुभव के समर्थन में विगत आपूर्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

6.<u>आयकर:</u>

यथा लागू बिलोंसे स्त्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता संख्या / (पैन) तथा फर्म का वर्ष 2015-16 सहित पूर्ववर्ती 3 वर्षों की आयकर विवरणी की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । उन्हें अनुबंध-IIIपर दिए गए अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आयकर / संपत्ति को छुपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं पाया गया है ।

7. बोलीदाता का साफ्टवेयर व्यवसाय में न्यूनतम कारोबर 30/- लाख रूपए प्रति वर्ष होना चाहिए। इस संबंध में बोलीदाताको फर्म की वर्ष 2015-2016 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षा की गई तुलन पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करने होंगे ।

8. प्रति युनिट लागतसहित कर को अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए ।

9. <u>जोखिम क्रय खंड:</u>

यदि बोली प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात आर्डर देने के बाद आपूर्तिकर्ता इन निविदा दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है तो संघ लोक सेवा आयोग को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वाराजमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर सामग्रियों को अन्य एजेंसी से खरीदने का अधिकार होगा । ऐसी खरीद की लागत अन्य आकस्मिक प्रभारों जिसमें सीमाशुल्क, कर, भाड़ा और बीमा आदि शामिल हैं, सहित फर्म से वसूला जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्त्रोत के माध्यम से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होने पर और यदि खरीद मूल्य कम है तो इसका कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

ह० तेजपाल

10. **निर्धारित क्षति / शास्ति:**

सुपुर्दगी आपूर्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी की चाहिए इसके असफल होने पर प्रत्येक दिन की देरी के लिए सामग्री के देरी के लिए 0.5% की दर से निर्धारित क्षति अधिरोपित की जाएगी जो आपूर्ति आदेश के मूल्या का अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा तथा इनकी कटौती संबंधित बिल से की जाएगी । 15 दिनों से अधिक की देरी के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले आपूर्ति आदेश को निरस्त कर सकता है और फर्म की जमा धरोहर राशि / निष्पादन प्रतिभूति की ऐसी राशि या पूर्ण राशि को जब्त कर सकता है, के अलावा बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर किसी अन्य स्त्रोत से सामग्री का प्रापण कर सकता है । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

11. **सुपुर्दगी:** आपूर्ति आदेश के जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर ।

12. **मध्यस्थता**

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी परिणाम, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

13.**क्षेत्राधिकार**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं और अब से दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

14. एल-1 का निर्धारण यथा लागू कर सहित प्रति युनिट लागत के आधार पर किया जाएगा ।

15. **भुगतान शर्तें:**

(क) सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित सभी सर्वरों तथा डेस्कटॉप / लैपटॉप में एन्टीवायरस साफ्टवेयर की सफलतापूर्वक आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के पश्चात् 90% भुगतान किया जाएगा ।

कि० लैजफल

(ख) 10% भुगतान दो किश्तों अर्थात सफल अधिष्ठापन के 1 वर्ष पश्चात् 5% भुगतान किया जाएगा तथा शेष 5% भुगतान सफलतापूर्वक अधिष्ठापन के दो वर्ष बाद किया जाएगा ।

16. प्रारंभ में केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल सहित एंटीवायरस साफ्टवेयर एस ओ आर में यथावर्णित प्रयोक्ताओं के लिए होगी । इसे नियमित अद्‌यतनीकरण एवं ऑनसाइट समर्थन सहित तीन वर्षों के लिए लाइसेंस प्राप्त होगा । इसे नि.आ.सू. के खंड 4 के शर्तों के अनुसार निविदा अवधि के दौरान प्रयोक्ता / लाइसेंस की संख्या के लिए इसका प्रपण किया जाएगा । सं. लो. से. आ. अतिरिक्त प्रयोक्ताओं / लाइसेंस की लागत केवल अनुमोदित दरों के अनुसार अदा करेंगी। इसके लिए कोई अन्य प्रभार अदा नहीं की जाएगी ।

17.**<u>अनिवार्य बाध्यता</u>**

फर्म अपने तार्किक नियंत्रण के परे किसी दैवी आपदा, युद्ध, दंगे, अवरोध, हड़ताल, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकारी के कारण लाइसेंस प्राप्ति में होने वाले विलंब या संविधियों के अंतर्गत आवेदन रद्द होने, विद्‌युत आपूर्ति में बाधा, दुर्घटना या विघटन या ऐसे कारणों से उत्पन्न प्रचालन जो आपूर्तिकर्ता की दुर्भावना को न दर्शाती हों, आग, बाढ़ से होने वाली असफलता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

18. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास बिना कारण बताए किसी बोली को पूर्णतया अथवा उसके भाग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और फर्म पर बाध्यकारी होगा ।

19. काल्पनिक तथा सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

20. तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से बोलियां 180 दिनों के लिए वैध रहेगी ।

21. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> पर भी उपलब्ध है।

राकेश दीक्षित

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सा.II)

हि॰ नैनवाल

निम्नलिखित वित्तीय प्रस्ताव / वाणिज्यिक बोली फार्मेट को https: // eprocure.gov.in / eprocure / app में इस निविदा दस्तावेज़सहित BOQxxxx.xlsमे दिया गया हैं । बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि BOQxxxx.xls को डाउनलोड करें और अनुमत कॉलम में अपना प्रस्ताव/ दर उद्धृत करें तथा इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें । बोलीदाता किसी भी रूप में डाउन लोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट को टेम्पर / आशोधित नकरें । यदि यह किसी भी प्रकार से टेम्पर किया गया / आशोधित पाया जाता है तो निविदा को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा और जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा निविदाकर्ता पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ व्यवसाय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है ।

वित्तीय बोली

क्र.सं.	मद का नाम	मात्रा	प्रति युनिट लागत (रू.में)	कर, यदि कोई हो	प्रति युनिट कुल लागत
1.	केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल सहित 750 प्रयोक्ता के लिए एंटीवायरस साफ्टवेयर (नियमित अद्यतन एवं ऑनसाइट समर्थन के लिए लाइसेंस)	1	केवल BOQ फार्मेट में भरा जाए ।		

- एल-1 का निर्धारण यथालागू कर सहित प्रति युनिट लागत के आधार पर किया जाएगा ।

ह० तेजपाल

अनुबंध- I

एन्टीवायरस सॉफ्टवेयरके लिए तकनीकी विनिर्दिष्टताएं :-

क्रम सं.	केन्द्रीय प्रबंधन कंसोल सहित 750 प्रयोक्ताओं के लिए निम्नलिखित कार्यमूलकता के साथ डेस्कटाप / लैपटाप एवं सर्वरों के बचाव हेतु एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर
1.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में सर्वर एवं डेस्कटाप / लैपटाप के लिए केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल होना चाहिए ।
2.	एन्टीवायरस सोल्यूशन वायरस और / या अन्य दुर्भावपूर्ण प्रोग्रामिंग कोड के कारण नेटवर्क के अंत: / बाहय स्थलों से उत्पन्न सभी आक्रमणों से डेस्कटाप एवं सर्वरों के लिए एन्टीवायरस सुरक्षा प्रदान करेंगे।
3.	एन्टीवायरस सोल्यूशन को बहु प्लेटफार्म प्रचालन प्रणाली (विन्डों, मैक एवं लिनुक्स) समर्थन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए तथा उक्त का प्रबंधन एकल केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल से किया जाना चाहिए ।
4.	सोल्यूशन को एप्लीकेशन आधारित कंसोल होना चाहिए।
5.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में केन्द्रीकृत अधिविन्यास एवं नीति प्रबंधन सहित एकल अधिविन्यासी अधिष्ठापन होना चाहिए ।
6.	मूल साफ्टवेयर डेवलपर (ओ एस डी) / मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) से एन्टीवायरस सर्वर का ऑटोमैटिक अद्यतन और यदि किसी कारण मुख्य सर्वर के कार्य न करने की स्थिति में ग्राहक अद्यतीनीकरण संबंधी कार्य करते है तो उन्हें गौण सर्वर (अर्थात ओ एस डी / ओ ई एस) से प्रयास किया जाना चाहिए ।
7.	एन्टीवायरस में सभी नेटवर्क प्रणालियों के लिए केन्द्रीकृत स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ।
8.	निर्धारित स्कैन किए जाने तथा केन्द्रीय सर्वर से अंतबिन्दु को अद्यतन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर में नम्यता होनी चाहिए ।
9.	एन्टीवायरस का वायरस, ट्रोजन, कीड़े, स्पाइवेयर एवं मालवेयर , एडवेयर और एकल एजेंट से पोटेन्शियलिटि अनवांटेड एप्लीकेशन (पी यू ए) को केप्चर करने में सक्षम होना चाहिए ।

दिo तेजपाल

10.	एन्टीवायरस में हास्ट इन्ट्रोजन प्रीवेन्शन सिस्टम (एच आई पी एस) प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जो बिना किसी अद्यतनीकरण (अननोन वायरस डिटेक्शन एंड रिपेयर) की आवश्यकता के 4 स्तरीय को जीरो डे प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए कार्य करता है ।
11.	एन्टीवायरस को एन टाईम डिटेक्शन प्रौद्योगिकी अर्थात बिहेवियरल एवं हयूरिस्टिक स्कैनिंग पर आधारित होना चाहिए ताकि अज्ञात वायरस से इसका बचाव किया जा सके और इसमें बफर ओवर फ्लों के प्रयोग से उत्पन्न थ्रेट / इक्सपोलाइट से बचाव के ए वी स्कैन इंजन सहित बफर ओवर फ्लो प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड होना चाहिए ।
12.	एन्टीवायरस साफ्टवेयर में वायरस की क्षमता को साफ करने, संगरोधी या उसका पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए और नार्मल वायरस डिफिनिशन अपडेट मैकेनिज्म द्वारा वायरस की नई वर्गों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए ।
13.	एन्टीवायरस ओ एस डी / ओ ई एम को इन्क्रीमेंटल अद्यतन सहित डिफिनेशन प्रदान करना चाहिए । इसे डिफिनेशन फाइल के लिए दैनिक अद्यतन का समर्थन करना चाहिए । दैनिक अद्यतन का आकार कम से कम आकार (आकार में 25 एवं 50 केबी के बीच) होना चाहिए ।
14.	एडमिनिस्ट्रेटर को शामिल न की सूची में फाइल, फोल्डर एवं इक्सटेंशनों को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे एसेस पर स्कैन नहीं किया जा सके ।
15.	एडमिनिस्ट्रेटर को डेस्कटाप पर एंटीवायरस वाले अधिविन्यास को बंद करने में सक्षम होना चाहिए और प्रयोक्ता को एन्टीवायरस साफ्टवेयर को अधिष्ठापित करने से रोका जाना चाहिए।
16.	एडमिनिस्ट्रेटर को सेन्ट्रल लोकेशन से ग्राहकों एवं सर्वरों के लिए नई एवं अद्यतन एन्टीवायरस साफ्टवेयर, डिफिनेशन एवं नीतियों को स्वत: ही वितरित करने में सक्षम होना चाहिए ।
17.	एडमिनिस्ट्रेटर को वायरस की समस्या का पता लगाने तथा वायरस की समस्या का निदान के लिए केन्द्रीकृत इवेन्ट लागिंग प्रदान करना चाहिए ।
18.	एलर्ट ऑन वायरस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाना चाहिए ।
19.	एन्टीवायरस में लोकेशन एवेअरनेस फीचर सहित पर्सनल फायरबाल (क्लाइन्ट फायरबाल) होने चाहिए उसे अनसालिसिटेड, इनवाउन्ड ट्रैफिक कंट्रोल अनवाउन्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहिए और इसे इसे ट्रैफिक, पोर्ट, एप्लीकेशन एवं लोकेशन पर आधारित नीति नियमों को लागू करना चाहिए ।

ह० तेजपाल

20.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में लाईन वेब प्रोटेक्शन माड्यूल जो विद्यमान इंडप्वांइट एजेन्ट से एकीकृत हो जिसमें यू आर एल को ब्लॉक करने के लिए इन्डप्वाइंट अधिनियम अपेक्षित नहीं है जो कि हास्टिंग मालवेयर और जो सभी ब्राउजरों को समर्थन करेगा - आई ई, फायर फाक्स, सफारी, ओपरा, क्रोम आदि ।
21.	साल्यूशन अपडेट्स को मल्टीपल अपडेट्स को बैंडविद पर न्यूनतम प्रभाव को कम करने सहित 30-50 के बी से अधिक नहीं होना चाहिए ।
22.	साल्यूशन को वेंडर एवं मॉडल (डिवाईस आई डी)सहित डिवाइस ब्लाकिंग एवं एक्सटेशन, ब्लॉक / रीड़ / एलाव / के विकल्प सहित को समर्थन देगा ।
23.	ओ ई एम के पास सभी आपरेटिंग सिस्टम के लिए बुटेबुल फार्मेट में स्टेन्डालान एन्टीवायरस स्कैनर होना चाहिए ।
24.	ओ एस डी / ओ ई एम में 24X7 टाल फ्री ग्लोबल तकनीकी समर्थन होने चाहिए ।
25.	विगत पांच वर्ष के दौरान एक वर्ष या इससे अधिक के लिए गार्टनर लीडर ।

ह० तेजपाल

अनुबंध- II

जांच सूची

क्र.सं.	विवरण	हां/ नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या फर्म की पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति संलग्न है ?		
2.	क्या वर्ष 2015-2016 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की फर्म की आयकर विवरणी की स्कैन्ड प्रति संलग्न है?		
3.	क्या वर्ष 2015-2016 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की फर्म की लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्रों की स्कैन्ड संलग्न प्रति है?		
4.	क्या20,000/-रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की स्कैन्ड प्रति या यदि ई एम डी में छूट का दावा के लिए केन्द्रीय भंडार,एनसीसीएफ, डीजीएस एंड डी या एनएसआईसी से प्राप्त प्रमाण पत्र की स्कैन्ड प्रति संलग्न है ?		
5.	क्या विगत 3 वर्षों के दौरान सरकारी विभागों या प्रतिष्ठित सार्वजनिकि संस्थाओं के लिए पिछले आपूर्ति आदेश की प्रति संलग्न की गई है ?		
6.	क्याअनुबंध- III में दिए गए अपेक्षित प्रमाण पत्र जो विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो, की स्कैन्ड प्रति संलग्न है ?		
7.	क्या अनुबंध-IVमें दिए अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में प्रति संलग्न है ?		

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म का नाम एवं पता
दूरभाष सं. / मोबाइल सं./
फैक्स सं.

हि० तेजपाल

<u>**अनुबंध-**</u> III

<u>एन्टीवायरससाफ्टवेयर के प्रापण के लिए निविदा</u>

आपके दिनांक .... की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में (फर्म का नाम एवं पता) .... हमलोगो एन्टीवायरस साफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है । निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि हमलोगो को निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं।

2. कि इस निविदा के प्रतिउत्तर में हमलोगो द्वारा उद्धृत एन्टीवायरस साफ्टवेयर पूर्ण रूप से निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध- I में निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप है ।

3. मुझे / हमलोगो को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/ धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध- IV

एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर विनिर्दिष्टताएं के सन्दर्भ में तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट :-

क्रम सं.	केन्द्रीय प्रबंधन कंसोल सहित 750 प्रयोक्ताओं के लिए निम्नलिखित कार्यमूलकता के साथ डेस्कटाप / लैपटाप एवं सर्वरों के बचाव हेतु एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर
1.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में सर्वर एवं डेस्कटाप / लैपटाप के लिए केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल होना चाहिए ।
2.	एन्टीवायरस सोल्यूशन वायरस और / या अन्य दुर्भावपूर्ण प्रोग्रामिंग कोड के कारण नेटवर्क के अंत: / बाह्य स्थलों से उत्पन्न सभी आक्रमणों से डेस्कटाप एवं सर्वरों के लिए एन्टीवायरस सुरक्षा प्रदान करेंगे।
3.	एन्टीवायरस सोल्यूशन को बहु प्लेटफार्म प्रचालन प्रणाली (विन्डों, मैक एवं लिनुक्स) समर्थन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए तथा उक्त का प्रबंधन एकल केन्द्रीकृत प्रबंधन कंसोल से किया जाना चाहिए ।
4.	सोल्यूशन को एप्लीकेशन आधारित कंसोल होना चाहिए।
5.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में केन्द्रीकृत अधिविन्यास एवं नीति प्रबंधन सहित एकल अधिविन्यासी अधिष्ठापन होना चाहिए ।
6.	मूल साफ्टवेयर डेवलपर (ओ एस डी) / मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) से एन्टीवायरस सर्वर का ऑटोमैटिक अद्यतन और यदि किसी कारण मुख्य सर्वर के कार्य न करने की स्थिति में ग्राहक अद्यतीनीकरण संबंधी कार्य करते है तो उन्हें गौण सर्वर (अर्थात ओ एस डी / ओ ई एस) से प्रयास किया जाना चाहिए ।
7.	एन्टीवायरस में सभी नेटवर्क प्रणालियों के लिए केन्द्रीकृत स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ।
8.	निर्धारित स्कैन किए जाने तथा केन्द्रीय सर्वर से अंतबिन्दु को अद्यतन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर में नम्यता होनी चाहिए ।
9.	एन्टीवायरस का वायरस, ट्रोजन, कीड़े, स्पाइवेयर एवं मालवेयर , एडवेयर और एकल एजेंट से पोटेन्शियलिटि अनवांटेड एप्लीकेशन (पी यू ए) को केप्चर करने में सक्षम होना चाहिए ।

ह० तेजपाल

10.	एन्टीवायरस में हास्ट इन्ट्रोजन प्रीवेन्शन सिस्टम (एच आई पी एस) प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जो बिना किसी अद्यतनीकरण (अननोन वायरस डिटेक्शन एंड रिपेयर) की आवश्यकता के 4 स्तरीय को जीरो डे प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए कार्य करता है ।
11.	एन्टीवायरस को एन टाईम डिटेक्शन प्रौद्योगिकी अर्थात बिहेवियरल एवं हयूरिस्टिक स्कैनिंग पर आधारित होना चाहिए ताकि अज्ञात वायरस से इसका बचाव किया जा सके और इसमें बफर ओवर फ्लों के प्रयोग से उत्पन्न थ्रेट / इक्सपोलाइट से बचाव के ए वी स्कैन इंजन सहित बफर ओवर फ्लो प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड होना चाहिए ।
12.	एन्टीवायरस साफ्टवेयर में वायरस की क्षमता को साफ करने, संगरोधी या उसका पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए और नार्मल वायरस डिफिनिशन अपडेट मैकेनिज्म द्वारा वायरस की नई वर्गों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए ।
13.	एन्टीवायरस ओ एस डी / ओ ई एम को इन्क्रीमेंटल अद्यतन सहित डिफिनेशन प्रदान करना चाहिए । इसे डिफिनेशन फाइल के लिए दैनिक अद्यतन का समर्थन करना चाहिए । दैनिक अद्यतन का आकार कम से कम आकार (आकार में 25 एवं 50 केबी के बीच) होना चाहिए ।
14.	एडमिनिस्ट्रेटर को शामिल न की सूची में फाइल, फोल्डर एवं इक्सटेंशनों को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे एसेस पर स्कैन नहीं किया जा सके ।
15.	एडमिनिस्ट्रेटर को डेस्कटाप पर एंटीवायरस वाले अधिविन्यास को बंद करने में सक्षम होना चाहिए और प्रयोक्ता को एन्टीवायरस साफ्टवेयर को अधिष्ठापित करने से रोका जाना चाहिए।
16.	एडमिनिस्ट्रेटर को सेन्ट्रल लोकेशन से ग्राहकों एवं सर्वरों के लिए नई एवं अद्यतन एन्टीवायरस साफ्टवेयर, डिफिनेशन एवं नीतियों को स्वत: ही वितरित करने में सक्षम होना चाहिए ।
17.	एडमिनिस्ट्रेटर को वायरस की समस्या का पता लगाने तथा वायरस की समस्या का निदान के लिए केन्द्रीकृत इवेन्ट लागिंग प्रदान करना चाहिए ।
18.	एलर्ट ऑन वायरस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाना चाहिए ।
19.	एन्टीवायरस में लोकेशन एवेअरनेस फीचर सहित पर्सनल फायरबाल (क्लाइन्ट फायरबाल) होने चाहिए उसे अनसालिसिटेड, इनवाउन्ड ट्रैफिक कंट्रोल अनवाउन्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहिए और इसे इसे ट्रैफिक, पोर्ट, एप्लीकेशन एवं लोकेशन पर आधारित नीति नियमों को लागू करना चाहिए ।

हि० तेजपाल

20.	एन्टीवायरस सोल्यूशन में लाईन वेब प्रोटेक्शन माड्यूल जो विद्यमान इंडप्वांइट एजेन्ट से एकीकृत हो जिसमें यू आर एल को ब्लॉक करने के लिए इन्डप्वाइंट अधिनियम अपेक्षित नहीं है जो कि हास्टिंग मालवेयर और जो सभी ब्राउजरों को समर्थन करेगा - आई ई, फायर फाक्स, सफारी, ओपरा, क्रोम आदि ।
21.	साल्यूशन अपडेट्स को मल्टीपल अपडेट्स को बैंडविद पर न्यूनतम प्रभाव को कम करने सहित 30-50 के बी से अधिक नहीं होना चाहिए ।
22.	साल्यूशन को वेंडर एवं मॉडल (डिवाईस आई डी)सहित डिवाइस ब्लाकिंग एवं एक्सटेशन, ब्लॉक / रीड़ / एलाव / के विकल्प सहित को समर्थन देगा ।
23.	ओ ई एम के पास सभी आपरेटिंग सिस्टम के लिए बुटेबुल फार्मेट में स्टेन्डालान एन्टीवायरस स्कैनर होना चाहिए ।
24.	ओ एस डी / ओ ई एम में 24X7 टाल फ्री ग्लोबल तकनीकी समर्थन होने चाहिए ।
25.	विगत पांच वर्ष के दौरान एक वर्ष या इससे अधिक के लिए गार्टनर लीडर ।

ह० तेजपाल

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का मतलब सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है ।

सी पी पी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक उपयोगी जानकारी https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

(1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https : // eprocure.gov.in / eprocure /app सी पी पी पोर्टल पर "ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।"

(2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेक का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पापसवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

(3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(4) इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सी फी / टी सी एस / ईन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(6) बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूज़र आई डी / पासवर्ड और डी एस सी/ ई- टोकन का पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

निविदा दस्तावेज़ की खोज:

(1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, विभिन्न प्रचलनों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्रचलनों में निविदा आई डी, संगठन का नाम अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्रचलन की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य की वर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्जावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए दस्तावेज़ अपेक्षित है । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन बोली की अस्वीकृति हो सकती है ।

(3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में हो । बोली दस्तावेज़ों श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मद्द करता है।

(4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं को को मुहैया कराई गई है । ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता “माई एपेस” या “अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़” वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे “माई एपेस” कर सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

(1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर अंकीय हस्ताक्षर करने हैं ।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना और अनुदेश के विवरण को प्रविष्ट करना है ।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथ निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भ्जेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन्ड प्रतिमें उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रदान की गई फार्मेंट में अपने वित्तीय बोली को आवश्यक रूप से जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेंट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोले और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंगीन (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिर्वतन न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाए जाते है तो बोली को अस्वीकार कर दी जाएगी ।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बोलयों को खालना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के. आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिपशन होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को जाने के सतय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोलीकी गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है । क्रर्मिक कुजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी ऐसे मैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदाके खोलने के बाद ही मात्र पठनीय होगा ।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने के बाद ही बाद ही पठनीय होगा ।

(9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिक सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती की रूप में इसे रख लें । यह पावती को किसी बोली के खुलने की बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

ह० लेखपाल

बोलीदाताओं को सहायता

(क) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की पुछ-ताछ के लिए निविदा के लिए निविदा आमंत्रणप्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।

(ख) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधितकिसी प्रकार की पूछ-ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ-ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता +917878007972 एवं + 91-78780079 से भी मद्द ले सकते हैं ।

दि० तेजपाल